राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच संख्या :- 11, रायसिंहनगर
(न्यायालयः- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर)
जिला अनूपगढ़ न्यायक्षेत्र श्रीगंगानगर

फूलासिंह बनाम पालों आदि
वाद सं. 196/2022 जी.सी.एम.एस. : 2022/00532
अन्तर्गत 53-88-188 आरटीएक्ट

13.07.2024

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश), श्रीगंगानगर द्वारा आदेश क्रमांक/एनएलए/2024/46 दिनांक 10.07.2024 के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु गठित की गई बैंच सं. 11 के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा प्रकरण लोक अदालत में रैफर किये जाने के परिणामस्वरूप आज यह पत्रावली लोक अदालत बैंच के समक्ष पेश हुई।

प्रकरण में वकील वादी द्वारा दिनांक 13.07.2024 को उपस्थित होकर वाद पत्र लोक अदालत की भावना से नोट प्रेस करने हेतु निवेदन किया हैं कि पक्षकरान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका हैं। हम आगे प्रकरण चलाना नहीं चाहते हैं। वादी के वाद पत्र की कार्यवाही को इसी स्तर पर नोट प्रेस करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच को निस्तारण हेतु रैफर की हैं। चूंकि प्रकरण में वादी कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः वाद पत्र की कार्यवाही इसी स्तर पर नोट प्रेस करने की स्वीकृति प्रदान की जाकर वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली राजस्व न्यायालय को लौटाई जावे। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डॉ. पवन कुमार बिश्नोई,
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायसिंहनगर
(अध्यक्ष)
लोक अदालत बैंच सं. 11

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच
रायसिंहनगर

अंकित मीमानी
नायब तहसीलदार मुकलावा
तहसील रायसिंहनगर।
(सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच सं. 11
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.07.30 18:14:33 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner